



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1941 (श0)
(सं0 पटना 1123) पटना, सोमवार, 30 सितम्बर 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2019

अधिसूचना संख्या 17/2019-राज्य कर (दर)

एस०ओ० 363, दिनांक 30 सितम्बर 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 26/2018-राज्य-कर (दर), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 1213, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

- (i) शब्द "स्वर्ण", जहां-जहां भी यह आया हों के स्थान पर शब्द, "स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) प्रारंभिक पैराग्राफ में, शब्द और अंक, "शीर्षक 7108" के स्थान पर शब्द और अंक "अध्याय 71" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपवाक्य को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"घ) "अध्याय" से अभिप्राय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट शीर्षक से है।";

2. यह अधिसूचना 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी ।

[सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-17]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

30 सितम्बर 2019

एस० ओ० 363, दिनांक 30 सितम्बर 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-7)-17]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 30th September 2019

Notification No. 17/2019- State Tax (Rate)

S.O. 363 dated the 30th September 2019-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 26/2018-State Tax (Rate), dated the 31st December, 2018, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 1213, dated the 31st December, 2018, namely:-

In the said notification, -

- (i) for the word "gold", wherever it occurs, the words, "gold, silver or platinum", shall be substituted;
- (ii) in the opening paragraph, for the word and figures, "heading 7108", the word and figures, "Chapter 71", shall be substituted;
- (iii) in the Explanation, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: —
“(d) “Chapter” means heading as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2019.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-7)-17)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1123-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>